

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग. 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

क्रमांक	मद	वितरण
7.	परियोजना का विवरण	जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बरई जलालपुर तथा कमलापुर के मध्य पुल संख्या-84 के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	सीतापुर
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.85 हेक्टेअर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.45
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) । सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर एल एफ, आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	संलग्न हैं
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण क्षेत्र नहीं हैं
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हों, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है ? यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है ? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें ।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	अपरिहार्य और न्यूनतम
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं ?	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अविकसित वनक्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार।	(1) महाराजपुर गॉव के अन्तर्गत (2) दाऊदपुर आरक्षित वन से दूरी-एक किलोमीटर (3) भू खण्डों की संख्या-एक (4) भू खण्ड का आकार-टेढ़ा-मेढ़ा
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवकमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	संलग्न है
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियां सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण क्रियान्वयक एजेन्सी, समय अनुसूची, लागत ढाँचा आदि ।	संलग्न है
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन.पी.वी.)	(1) प्रभावित 0.85 हेक्टेअर के दोगुने अर्थात 1.70 हेक्टेअर अवनत वन भूमि में रोपण हेतु रूपये 1,96,820.00 प्रति हेक्टेअर की दर से रूपये 3,34,594.00 का व्यय (2) प्रभावित 0.85 हेक्टेअर की एन.पी.वी. रूपये 6,26,000.00 प्रति हेक्टेअर की दर से रूपये 5,32,100.00 का व्यय (3) कुल धनराशि रूपये 8,66,694.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र	संलग्न है (परिशिष्ट-10)

	की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 और 9 में पूँछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें ।	संलग्न है
12	विभाग/जिला प्रोफाईल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5,71,284.00 हेक्टेअर
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	499.17 हेक्टेअर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	(1) मामलों की संख्या – 23 (2) 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र – 127.8465 हेक्टेअर
(iv)	1980 से जिले/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	119.20 हेक्टेअर
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	58.728 हेक्टेअर
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
	(क) वन भूमि पर	119.20 हेक्टेअर
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	58.728 हेक्टेअर
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव की जनहित एवं विकास कार्यों हेतु संस्तुति की जाती है

तिथि: 30.6.2015

स्थान: सीतापुर


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 सीतापुर